25 शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम

1. प्रस्तावना

शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मध्य समन्वयन द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को राज्य में क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद को राज्य सरकार द्वारा नोडल ऐजेन्सी बनाया गया है। जिला स्तर पर अति. जिला परियोजना समन्वयक एस.एस.ए. को विद्यालयों में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। अति. जिला परियोजना समन्वयक को कार्यक्रम क्रियान्वयन में जिला स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए टी.एस.सी. फण्ड से प्रत्येक जिलें में एक जिला समन्वयक (SWSHE) की नियुक्ति अति. जिला परियोजना समन्वयक, एस.एस.ए. कार्यालय मे डी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा की गई है।

राज्य स्तर पर राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद को शाला जल स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु यूनिसेफ के सहयोग से SWSHE Cell गठित है।

2. इस कार्यक्रम को विद्यालयों में लागू करने के निम्नांकित उद्देश्य है –

II. सभी ग्रामीण शासकीय विघालयों में संख्यानुरूप बालक व बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालयो /मूत्रालयों का निर्माण करना

III. विद्याालयों में पेयजल सुविधा प्रदान करना तथा पेयजल सुविधा के उचित उपयोग एवं रख–रखाव की आदतो का विकास करना।

IV. बाल्यावस्था से ही स्वास्थ्य व स्वच्छता की आदतों का विकास करना ।

V. विघालयों में स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण प्रदान कर बच्चों की सीखने–समझने की क्षमता का विकास करना।

VI. बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्वि करना।

VII. बालक बालिकाओं को विघालयी व्यवस्था संचालन, जैसे शौचालय /मूत्रालय की साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था करने, विघालय परिसर को स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक बनाने आदि में भागीदार बनाना।

VIII. शिक्षकों के माध्यम से बच्चों में व बच्चों के माध्यम से अभिभावकों व समुदाय तक स्वच्छता के संदेश को पहुॅचा कर स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण विकसित करना।

IX. विद्याालयों में बालमित्र सुविधाए उपलब्ध करवाना।

3. शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम विद्यालयों से ही क्यो ?

नए विचारों और संकल्पनाओ को समझने तथा उन्हें जनप्रिय बनाने में बच्चे प्रमुख भूमिका निभाते है। इसलिए इस अभियान में उनकी क्षमताओं का उपयोग विघालयों तथा घरों में स्वच्छता की आदतों के विकास में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही घरेलू शौचालय निर्माण की मांग सृजन में भी इनकी प्रमुख भूमिका होगी। अतः अभियान को सफल बनाने के लिए सरकारी ग्रामीण विघालयों को प्रमुख आधार बनाया गया है।

इस कार्यक्रम में विद्यालयों तथा ऑगनबाड़ी केन्द्रों को अत्यधिक महत्व दिया गया है क्यो कि –

I. परिवार के बाद विद्यालय ही वह प्रमुख स्थान है जहाँ बच्चों का बौद्विक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक विकास होता है।

II. विद्यालय, बच्चों में सामाजीकरण की प्रवृति विकास के प्रधान केन्द्र है।

III. स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक परिवेश में प्रदान की गई शिक्षा ज्यादा प्रभावी एवं उपयोगी होती है।

IV. यदि बच्चों में स्वच्छता व स्वास्थ्य की जानकारियों का व्यावहारिक उपयोग करने की क्षमता व आदतों का विकास नहीं होता है तो शिक्षा अपूर्ण व अप्रभावी है।

V. अस्वच्छ व अस्वास्थ्यकर विद्यालय परिवेश बच्चों (विशेषतः बालिकाओं) की सीखने–समझनें की क्षमता तथा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते है जो अनुपस्थिति, कम नामांकन व पलायन का कारण है।

अतः विद्यालयों को स्वास्थ्यवर्धक परिवेश प्रदान कर बच्चों की सीखने समझनें की क्षमता का विकास करने तथा विद्यालयों को आनन्द का केन्द्र बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को प्रमुखता प्रदान की गई है।

4. लक्ष्यपूर्ती हेतु वित्तीय प्रावधान

क्र.स.	कार्य	प्रावधान/समय सीमा	इकाई लागत
1.	शौचालय निर्माण बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय यूनिट (ग्रामीण विद्यालयो हेतु)	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) (शौचालय निर्माण कार्य हेतु राशि जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा डी.पी.सी. सर्व शिक्षा अभियान को उपलब्ध करवाई जाती है।)	रू0 20,000 प्रति यूनिट (रू0 14000/–केन्द्रीय सहायता एवं रू0 6000/– राज्य अंश
2	शौचालय निर्माण बालिकाओं के लिए शौचालय यूनिट (प्रा./उ.प्रा. विद्यालयो हेतु)	सर्व शिक्षा अभियान	रू. 25000/–
3.	पेयजल आपूर्ती (जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग द्वारा ग्रामीण विद्यालयो हेतु))	त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ती कार्यक्रम (ARWSP)	हैण्डपम्प, वर्षा जल संग्रहण टांका, पी.एच.ई.डी. कनेक्शन की व्यवस्था पी.एच.ई.डी. द्वारा की जाती है।
4	पेयजल आपूर्ती (शहरी क्षैत्र के प्रा./उ.प्रा. विद्यालयो हेतु)	सर्व शिक्षा अभियान	रू. 60000/– (हैण्डपम्प, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था)
5.	3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण	एसएसए . **(एसएसए अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण आयोजित)**	एस.एस.ए. तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण नियमानुसार

5. शाला जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ :

व्यक्तिगत स्वच्छता

इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में स्वच्छता की आदतों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। हाथों को शौच के बाद व भोजन के पहले साबुन या राख से धोने, नियमित रूप से स्नान करने, साफ कपड़े पहनने तथा घर व विघालय को स्वच्छ रखने पर विशेष बल दिया जाएगा। इन आदतों के विकास से बच्चों में अतिसार, आन्त्र कृमियों और नेत्र संक्रमणों, ऊपरी श्वसन तन्त्र के संक्रमणों आदि में कमी आएगी।

परिवेश की स्वच्छता

व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ–साथ परिवेश को स्वच्छ रखने की आदतों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया जाएगा। इसके तहत कक्षा–कक्ष विघालय परिसर की सफाई , गन्दे पानी की उचित निकासी व पुनः उपयोग (वृक्षारोपण हेतु) आदि पर विशेष बल दिया जाएगा जिससे मक्खी–मच्छर पनपने की संभावनाएँ कम होगी व हैजा तथा मलेरिया के प्रकोप में कमी आएगी।

नामांकन ठहराव में वृद्वि

व्यक्तिगत व पर्यावरणीय स्वच्छता से अन्ततः बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके नामांकन, ठहराव व शैक्षिक उपलब्धियों में गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होगें।

विद्यालयी व्यवस्थाओं के रखरखाव की आंतरिक व्यवस्था

विद्यालयो में स्वच्छ पेयजल आूपर्ति एवं शौचालय /मूत्रालय सुविधाओं की नियमित साफ–सफाई की सुदृढ़ व स्वप्रेरित व्यवस्था कायम करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव है जब सभी बच्चों, शिक्षकों व स्थानीय समुदायों में स्वच्छता के उचित दृष्टिकोण का विकास किया जाए, तभी हमारे विघालयों का पर्यावरण स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक बनेगा और ये बच्चे सामुदायिक '' परिवर्तनकर्ता '' सिद्व हो सकेगें। विद्यालयी व्यवस्थाओ के रखरखाव हेतु प्रत्येक विद्यालय में राज्य सरकार के आदेश कमांक **F5(4)(80)/RCPE/TSC-07/10650-10869** दिनांक **1-11-07** द्वारा निर्देशानुसार 35–40 छात्र/छात्राओ का स्वच्छता स्काऊट का चयन कर बाल ससंद गठित कर विद्यालय के शिक्षको द्वारा प्रशिक्षत किया जाएगा। प्रशिक्षित स्वच्छता स्काऊट दल के सदस्य विद्यालय के अन्य छात्र /छात्राओ के सहयोग से विद्यालय की पेयजल, शौचालय, कक्षा कक्ष व विद्यालय परिसर की साफ–सफाई में विद्यालय प्रशासन को सहयोग प्रदान करेगें। स्थानीय विद्यालय के शिक्षक छात्र/छात्राओ का मार्गदर्शन करेगे।

शौचालय एवं पेयजल सुविधा विहीन विद्यालयो में वित्तिय वर्ष 2010–11 में आवश्यक रूप से शौचालय एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवायी जानी लक्षित है। जिले के विद्यालयो में शौचालय की आवश्यकता का आंकलन करके इन विद्यालयो में शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए **परिशिष्ट–1** के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रावधान निहित है। उपलब्ध प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही आपके स्तर पर अपेक्षित है :–

(अ) शौचालय सुविधा

1. यदि विद्यालय में एक ही शौचालय है तो उसका उपयोग केवल बालिकाओ द्वारा ही किया जावें।
2. शौचालय विहीन एवं एकल शौचालय सह–शिक्षा विद्यालयो की सूची तैयार कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानुसार शौचालयो की स्वीकृति जारी करें। निर्माण कार्य 2 माह में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करावे।
3. सर्व शिक्षा अभियान से शौचालय की स्वीकृति उपरान्त शेष रहे शौचालय विहीन/एकल शौचालयो विद्यालयो की सूची जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधान के अनुरूप स्वीकृत करने हेतु उपलब्ध कराये।

4. जिन विद्यालयों में शौचालय निर्माण के प्रावधान सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है, उनके प्रस्ताव भारत सरकार को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त स्वीकृत करवाने हेतु प्रेषित कराये।
5. सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्र के विद्यालय (प्रा.शि. तक) तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत केवल ग्रामीण क्षैत्र के समस्त विद्यालयो (प्रा. से उ.मा. तक) में शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है।

विद्यालयो मे निर्मित किये जाने वाले शौचालयो की ड्राईंग, डिजाईन एवं मॉडल तकमीना का हिन्दी मे रंगीन ब्रोशर विकसित किया गया है। जिले की आवश्यकता अनुरूप मांग भिजवाकर प्राप्त करें। शौचालय के निर्माण कार्यो को समय पर पूर्ण करने एवं गुणवत्ता निर्धारण हेतु संलग्न ब्रोशर की एक प्रति सम्बधित विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति को शौचालय स्वीकृति के साथ उपलब्ध करवाये तथा विद्यालयो में शौचालय/मूत्रालय स्वीकृत करते समय निम्न दिशा निर्देश आवश्यक रूप से प्रत्येक विद्यालय को जारी किए जाए :–

1. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत शौचालय की ईकाई लागत रू. 20,000/– में 1 शौचालय + 2 मूत्रालय का निर्माण किया जावें।
2. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शौचालय की ईकाई लागत रू. 25,000/– में 1 शौचालय + 3 मूत्रालय का निर्माण किया जावें तथा बालिका शौचालय (उ.प्रा. विद्यालयो में) के साथ इन्सीनरेटर का निर्माण किया जावें।
3. शौचालयों का निर्माण दिये गये नक्शे के अनुरूप होना चाहिए।
4. शौचालय निर्माण में Rural Pan का इस्तेमाल करना जरूरी है। रूरल पेन टी.एस.सी. के तहत् ब्लाक स्तर पर स्थापित किए गये सेनेटेरी मार्ट/एन.जी.ओ. के पास उपलब्ध है। इसके लिए जिले के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रभारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
5. मूत्रालय एवं पानी की निकासी के लिये (नाली का निर्माण) सिरेमिक की बनी हुई Half round channel का प्रयोग करें।
6. शौचालय के फ्लोर एवं दीवारो पर नक्शे में दर्शाई गई ऊंचाई तक सिरेमिक टाईल्स का उपयोग करें।
7. बच्चो के हाथ धोने के लिये पानी की टंकी शौचालय के बाहर 2 फिट की ऊंचाई पर लगाई जावे साथ ही हाथ धोने के पश्चात बेकार पानी को एकत्रित करने के लिये टंकी के आगे ट्रे बनाई जाना सुनिश्चित करें।
8. उक्त ट्रे का पानी हाफ राउण्ड की सिरेमिक नाली से होता हुआ शौचालय के पास निर्मित सोख्ता गढ्ढा में निस्तारित करना है, ताकि मूत्रालय को साफ रखने मे मदद मिल सके।
9. मूत्र एवं पानी की निकासी हेतु सोख्ता गड्डे का निर्माण करें।
10. शौचालय के मल को निस्तारित करने हेतु ईट की जालीदार चुनाई के दो लीच पिट बनाए जाए।
11. शौचालय /मूत्रालय निर्माण की राशि प्राप्ति के एक माह में पूर्णकर उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करें।

(ब) पेयजल सुविधा

जिले के विद्यालयो में पेयजल सुविधा की आवश्यकता का आंकलन करके इन विद्यालयो में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए **परिशिष्ट–2** के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (अन्तर्गत ARWSP) के तहत् प्रावधान निहित है। उपलब्ध प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही आपके स्तर पर अपेक्षित है :–

1. जिले के पेयजल विहिन विद्यालयो का भौतिक सत्यापन करके सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध पेयजल प्रावधान की स्वीकृतिया जारी करे।

2. सर्व शिक्षा अभियान से पेयजल (टांका, हैण्डपम्प, पाईप लाईन कनेक्शन) की स्वीकृति उपरान्त शेष रहे पेयजल विहीन विद्यालयो की सूची अधिशाषी/अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करावे। पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।
3. सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्र तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा केवल ग्रामीण क्षैत्र के विद्यालयेा में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है।

नोट : पेयजल विहिन विद्यालय से तात्पर्य वह विद्यालय जहॉ एस.एस.ए./जन.स्वा.अभि.वि./अन्य योजना से पूर्व में पेयजल हेतु कोई प्रावधान न किया हो।

विद्यालयो में पेयजल सुविधा स्वीकृति जारी करते समय निम्न दिशा निर्देश आवश्यक रूप से प्रत्येक विद्यालय को जारी किए जाए :–

1. सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययेाजना एवं बजट 2009–10 तथा 2010–11 के अन्तर्गत अनुमोदित पेयजल सुविधा के प्रावधानो मे से शौचालयो मे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्वेश्य से ऐसे स्थान जहॉ हैण्डपम्प/टांका स्थापित करने में ईकाई लागत (रू. 60,000/–) से कम व्यय होता है, वहॉ हैण्डपम्प/टांके के साथ फोर्स एण्ड लिफ्ट पम्प आवश्यक रूप से इन्स्टाल किये जावें।
2. जिन विद्यालयो में हैण्डपम्प सूख गये है उनकी सूची जिला स्तर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करवाई जाकर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करें।

(स) शौचालय एवं पेयजल सुविधाओ का उपयोग एवं रखरखाव

प्रायः यह देखने मे आता है कि विद्यालयो में उपलब्ध शौचालय एवं पेयजल सुविधा का नियमित इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अतः विद्यालयो में शौचालय एवं पेयजल सुविधाओ के नियमित उपयोग, साफ–सफाई एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी करावे :–

1. एस.एफ.जी. मद अथवा छात्र कोष में से रू. 100/– मासिक तक का व्यय शौचालय स्वच्छता हेतु किया जा सकता है।
2. विद्यालय में बाल ससंद का गठन किया जावे तथा विद्यालयो की दैनिक स्वच्छता गतिविधियो में बाल ससंद की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। जिले के अधिकारी विद्यालय अवलोकन के दौरान यह अवश्य जॉचे की विद्यालय मे बाल ससंद का गठन किया गया है एवं विद्यालय व्यवस्था प्रबन्धन मे सक्रीय है।
3. नोडल अध्यापक की देखरेख मे बालक बालिकाओ के दल बनाकर रोटेशन के आधार पर शौचालयो एवं पेयजल के व्यवस्थित उपयोग, रखरखाव एवं साफ सफाई की जावे।
4. भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद हाथ धोने हेतु साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5. विद्यालय स्वच्छता विशेषकर शौचालय एवं पेयजल सुविधा के नियमित उपयोग स्वच्छता एवं रखरखाव के लिए प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी । इस हेतु एक अध्यापक को नामित किया जा सकता है।
6. क्लस्टर /ब्लाक एवं जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी विद्यालय भ्रमण के दौरान विद्यालय के शौचालय के उपयोग एवं नियमित रखरखाव की टिप्पणी अपनी भ्रमण रिपोर्ट मे आवश्यक रूप से अंकित करगें। मौके पर शौचालय उपयोग एवं रखरखाव मे आ रही बाधाओ का निराकरण भी करेगे।

उक्त दिशा निर्देशो की सख्ती से अनुपालना की जाए। किसी भी संशय की स्थिति में परिषद में स्थित शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रकोष्ठ (SWSHE Cell) से सम्पर्क किया जाए। उक्त बिन्दुओ की अनुपालना सुनिश्चित करावाकर की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करावें।

Annexure -1

Action Plan for 2010-11 for 100 % Toilet Coverage (Separately for boys & Girls)

		Toilet Facility				Drinking Water Facility		
S. NO.	District	Requirement of Toilets as on 31st March 2010	SSA Provision in 2010-11	TSC Provision to be used	Additional from TSC (plan to be revised)	Requirement of Drinking Water Facility as on 31st March 2010	SSA Provision in 2010-11	Provisions to be made under ARWSP (PHED)
1	Ajmer	64	64	0	0	4	0	4
2	Alwar	435	164	0	271	0	0	0
3	Banswara	400	400	0	0	70	0	70
4	Baran	0	0	0	0	66	0	66
5	Barmer	398	0	0	398	344	0	344
6	Bharatpur	109	109	0	0	73	0	73
7	Bhilwara	317	114	203		25	0	25
8	Bikaner	130	130	0	0	221	0	221
9	Bundi	276	11	265	0	51	47	4
10	Chittorgarh	15	15	0	0	22	0	22
11	Churu	0	0	0	0	0	10	0
12	Dausa	798	0	798	0	202	11	191
13	Dholpur	71	71	0	0	47	0	47
14	Dungarpur	1316	41	1275		91	49	42
15	Hanumangarh	13	13	0	0	50	0	50
16	Jaipur	1009	0	1009	0	13	18	0
17	Jaisalmer	379	51	328	0	92	35	57
18	Jalore	250	137	113	0	182	177	5
19	Jhalawar	598	10	588		122	4	118
20	Jhunjhunu	193	58	0	135	2	67	0
21	Jodhpur	1629	200	962	467	0	0	0
22	Karauli	850	73	777	0	142	140	2
23	Kota	11	11	0	0	0	0	0
24	Nagaur	1627	801	0	826	264	48	216
25	Pali	384	190	194	0	152	26	126
26	Rajsamand	229	7	0	222	21	0	21
27	S. Madhopur	55	55	0	0	158	42	116
28	Sikar	0	0	0	0	46	0	46
29	Sirohi	58	58	0	0	34	22	12
30	S.Ganganagar	0	0	0	0	7	0	7
31	Tonk	273	94	0	179	36	0	36
32	Udaipur	0	0	0	0	271	261	10
33	Pratapgarh	444	4	0	440	129	8	121
	Total	**12331**	**2881**	**6512**	**2938**	**2937**	**965**	**2052**

शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन वर्ष 2010–11 की समय सीमा

क्र.सं.	गतिविधि	अप्रैल 10	मई 10	जून 10	जुलाई 10	अगस्त 10	सितम्बर 10	अक्टूबर 10	नवम्बर 10	दिसम्बर 10	जनवरी 11	फरवरी 11	मार्च 11
1	शौचालय विहीन एवं एकल शौचालय युक्त शिक्षा विद्यालयों की सूची तैयार कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानुसार शौचालयों की स्वीकृति जारी करें। निर्माण कार्य 2 माह में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करावें												
2	राशि विद्यालयों तक हस्तानांतरित करना												
3	टी.एस.सी./एस.एस.ए. शौचालयों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।												
4	जिन शौचालयों के प्रावधान सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है, उनके प्रस्ताव भारत सरकार को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त स्वीकृति करवाने हेतु प्रेषित करें।												
5	जिले के पेयजल विहीन विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करके सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध पेयजल प्रावधान की स्वीकृतियां जारी करें।												
6	सर्व शिक्षा अभियान से पेयजल (टांका, हैण्डपम्प, पाइप लाइन कनेक्शन) की स्वीकृति उपरान्त शेष रहे पेयजल विहीन विद्यालयों की सूची अधिशाषी/अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करावें												
7	एस.एफ.जी. मद अथवा अन्य कोष में से रू. 100/- मासिक तक का व्यय शौचालय स्वच्छता हेतु किया जा सकता है। जिला स्तर से दिशा निर्देश जारी करें।												
8	विद्यालय बाल संसद का गठन किया जावे तथा विद्यालयों की दैनिक स्वच्छता गतिविधियों में बाल संसद की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। जिला स्तर से दिशा निर्देश जारी करें।												
9	तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण												
10	समस्त विद्यालयों में विश्व हाथ धुलाई दिवस का आयोजन												